प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>विविध अपील क्रमांक: 88/2006</u>

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

मनोज कुमार श्रीवास्तव व अन्य

आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 19/10/2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक: 88/2006

अपीलार्थी बीमाकर्ता	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबंधक, अम्बिकापुर, राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ. ग.)
	बनाम
उत्तरवादीगण दावेदार	1. मनोज कुमार श्रीवास्तव, आत्मज पारसनाथ श्रीवास्तव, उम्र 28 वर्ष, व्यवसाय- अनुशिक्षण, निवासी मोहल्ला- शिवधारी कालोनी, थाना व तहसील- अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)
(स्वामी व वाहन चालक) मोटर साइकिल क्रमांक- सीजी-15/6686	2. अमरनाथ सिंह, आत्मज आनंदरम, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम- पोडिपा, थाना अम्बिकापुर देहात, जिला- सरगुजा (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील अंतर्गत धारा 173, मोटर यान अधिनियम, 1988

(एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. अग्रवाल)

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री मनोज मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 2।

आदेश

(दिनांक 19.10.2012 को उद्घोषित)

1. यह अपील बीमाकर्ता ने पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्र. 63/2004 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 1.10.2004 के विरुद्ध दायर की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य, संक्षिप्त में, निम्नानुसार हैं:

   (i) मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उत्तरवादी क्र. 1/दावेदार द्वारा दिनांक 23.12.2002 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के लिए 2,00,000/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया गया।

(ii) बीमा के तथ्य को स्वीकार करते हुए, अपीलार्थी- बीमा कंपनी ने, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर अपनी दायित्व का प्रत्याख्यान किया कि उत्तरवादी क्र. 2, अर्थात दुर्घटना के समय मोटर साइकिल (पंजीयन क्र. सीजी-15/6686) के स्वामी-सह-चालक के पास मोटर साइकिल चलाने का वैध और प्रभावी अनुज्ञप्ति नहीं था।

3. अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्षित किया: दुर्घटना काइनेटिक चैलेंजर मोटर साइकिल (पंजीयन क्र. सीजी-15/6686) को उसके स्वामी-सह-चालक अमरनाथ सिंह के द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चलाने के कारण हुई; उक्त दुर्घटना में दावेदार- मनोज कुमार श्रीवास्तव को चोटें आईं, अपीलार्थी/बीमा कंपनी प्रतिकर राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी है क्योंकि वह पालिसी की शर्तों के उल्लंघन को सिद्ध नहीं कर सकी; और दावेदार को प्रतिकर राशि 25,000/- रुपये निर्धारित कर साथ-साथ दावा याचिका पेश करने की तिथि से लेकर उसके वास्तविक भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का अधिनिर्णय किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने जांच प्रतिवेदन (प्र.डी-2) और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सरगुजा द्वारा जारी अनुज्ञप्ति विवरण (प्र.डी-3) का अवलंबन लेते हुए तर्क दिया कि उत्तरवादी क्र. 2 अमरनाथ सिंह के पास दिनांक 2.8.1999 से दिनांक 2.1.2000 तक की अवधि के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था और उसके बाद, इसका नवीनीकरण दिनांक 07.01.2003 को अर्थात इसके अवसान के लगभग दो वर्ष बाद किया गया था, इसलिए दुर्घटना के दिन उनके पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि : पालिसी की विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन को प्रमाणित करने के लिए, अपीलार्थी/बीमा कंपनी के लिए बीमा पालिसी को प्रदर्श अंकित करना और प्रमाणित करना आवश्यक नहीं था और मात्र पालिसी को पेश करना ही इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त था। **भुवन सिंह बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य**[1], **जवाहर सिंह बनाम बाला जैन व अन्य**[2] तथा **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राकेश कुमार अरोड़ा व अन्य**[3] के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंबन लिया गया है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्र. 2/स्वामी-सह-चालक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज मिश्रा ने तर्क दिया: अपीलार्थी/बीमा कंपनी यह प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य साक्ष्य

---

[1] (2009) 5 एससीसी 136

[2] (2011) 6 एससीसी 425

[3] 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 6872

प्रस्तुत करने में विफल रही है कि दुर्घटना के समय उत्तरवादी क्र. 2 के पास वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि बीमा पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन को प्रमाणित करने के लिए, बीमा कंपनी को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि बीमा पालिसी में उक्त शर्तें उल्लेखित हैं। हालाँकि, यह अपीलार्थी/बीमा कंपनी को ही ज्ञात है कि उसने अपने सहायक प्रशासनिक अधिकारी - ए. बी. माटे (अन.सा.-1) का परीक्षण करने के बावजूद, बीमा पॉलिसी और उसकी शर्तों को प्रमाणित नहीं किया, जिससे पॉलिसी की किसी विशिष्ट शर्त का उल्लंघन सिद्ध हो सके, न ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और/या विवेचक द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि उत्तरवादी क्र. 2 बिना अनुज्ञप्ति के वाहन को चला रहा था, इन तथ्यों के अभाव में, अधिकरण ने अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर प्रतिकर के भुगतान का दायित्व अधिरोपित करने में कोई गलती नहीं की है।

6. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ आक्षेपित अधिनिर्णय का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अधिनियम की धारा 149 (2)(क)(**ii**) के अनुसार: अपीलार्थी/बीमा कंपनी के पास इस आधार पर दावा प्रकरण का बचाव करने का अधिकार है कि किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके पास विधिवत अनुज्ञप्ति नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे चालन अनुज्ञप्ति रखने या प्राप्त करने के लिए उस दौरान अयोग्य घोषित किया गया हो, के द्वारा वाहन संचालन को प्रतिबंधित करने वाली विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है।

8. उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत, अपीलार्थी/बीमा कंपनी के लिए बीमा पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन को सिद्ध करने के लिए बीमा पालिसी को प्रमाणित करना आवश्यक था। अपीलार्थी/बीमा कंपनी को यह तथ्य भी प्रमाणित करना था कि घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था।

9. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य[4] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 110 (**iii**), (**iv**) और (**vi**) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> 110 (**iii**) बीमाकर्ता को दायित्व से बचने के लिए, पालिसी की शर्तों का उल्लंघन, जैसे कि चालक की अयोग्यता या चालक का अमान्य चालन अनुज्ञप्ति, जैसा कि धारा 149 के उप-धारा (2)(क)(**ii**) में निहित है, बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाना प्रमाणित करना होगा। चालन अनुज्ञप्ति का मात्र अभाव

[4] (2004) 3 एससीसी 297

फर्जी या अमान्य होना, या संबंधित समय पर चालक का वाहन संचालन के लिए अयोग्य घोषित होना, अपने आप में बीमाकर्ता के लिए बीमित व्यक्ति या तीसरे पक्ष के विरुद्ध उपलब्ध बचाव नहीं हैं। बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए यह प्रमाणित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और वह पालिसी की उस शर्त को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा, जिसके अनुसार वाहनों का उपयोग विधिवत अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक द्वारा या ऐसे चालक द्वारा किया जाना चाहिए जो संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य न हो।

110 (**iv**) हालांकि, बीमा कंपनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त प्रकरण में उठाए गए उपलब्ध बचावों को प्रमाणित करना होगा बल्कि वाहन के स्वामी की ओर से 'उल्लंघन' भी प्रमाणित करना होगा; जिसके लिए सबूत का भार उन्हीं पर होगा।

---

110 (**vi**) यदि बीमाकर्ता यह प्रमाणित कर भी देता है कि बीमित व्यक्ति ने पालिसी की उस शर्त का उल्लंघन किया है जिसमें चालक के पास वैध अनुज्ञप्ति होना या संबंधित अवधि के दौरान वाहन चलाने की योग्यता होना आवश्यक है, तब भी बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बच नहीं सकता, जब तक कि चालन अनुज्ञप्ति की शर्त का उक्त उल्लंघन इतना मूलभूत न हो कि वह दुर्घटना का कारण बना हो। अधिकरण अधिनियम की धारा 149(2) के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को उपलब्ध बचावों को स्वीकार करने के लिए पालिसी की शर्तों की व्याख्या करते समय **"मुख्य उद्देश्य के नियम"** और **"मौलिक उल्लंघन"** की अवधारणा को लागू करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह कारण अपीलार्थी/बीमा कंपनी को ही ज्ञात है कि उसने बीमा कंपनी के अधिकारी का परीक्षण किया है परंतु उसने पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को प्रमाणित नहीं किया है। दस्तावेज़ की विषयवस्तु के बारे में सबसे उपयुक्त प्रमाण स्वयं दस्तावेज़ ही है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 दस्तावेज़ की विषयवस्तु को प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य की स्वीकृति को वर्जित करती है, सिवाय उन मामलों के जहां साक्ष्य अधिनियम के संबंधित

प्रावधान के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति है। स्वीकृत रूप से, न तो द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की गई और न ही अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने पालिसी के उल्लंघन को प्रमाणित करने के लिए उसके प्रति को चिह्नित और प्रमाणित किया।

11. इसके अलावा, अपीलार्थी/बीमा कंपनी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अधिकारी और/या विवेचक के परीक्षण के माध्यम से यह प्रमाणित करने में भी विफल रही कि दुर्घटना के समय उत्तरवादी क्र. 2- अमरनाथ सिंह के पास वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था, जिसके अभाव में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत सार्वजनिक दस्तावेज न होने के कारण, जांच प्रतिवेदन (प्र.डी—2) और अनुज्ञप्ति विवरण (प्र.डी.-3) साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं, जब तक कि संबंधित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इन्हें सिद्ध न किया जाए।

12. **भुवन सिंह (पूर्वोक्त)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, जहां अपीलार्थी/स्वामी ने यह विशेष अभिवचन किया है कि वह वाहन नहीं चला रहा था और दीवान सिंह नामक व्यक्ति उसे चला रहा था, यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत प्रमाण पेश करने का भार अपीलार्थी पर था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मोटर यान अधिनियम की धारा 3 से 5 का अवलंबन लेते हुए देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राकेश कुमार अरोडा (पूर्वोक्त)** एवं **जवाहर सिंह बनाम बाला जैन व अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि: यदि दुर्घटना के समय वाहन किसी नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा था, तो बीमा कंपनी को वाहन के स्वामी द्वारा पालिसी की शर्तों के जानबूझकर उल्लंघन को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।

14. उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में अभिनिर्धारित विधिक सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त मामलों में ऐसा कोई विधि प्रतिधारित नहीं किया है कि पालिसी की शर्तों के उल्लंघन को प्रमाणित करने के लिए पालिसी की शर्त को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, या किसी भी बीमा पालिसी को बिना चिह्नित और प्रदर्शित किए साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, और अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत और अवलंबित मामले उनके लिए किसी रूप से मददगार नहीं हैं।

15. मामले के हर पहलू पर विचार करते हुए, मैं श्री सिन्हा के इस तर्क को सारहीन पाता हूँ, कि पालिसी की शर्तों के उल्लंघन को प्रमाणित करने के लिए पालिसी की शर्तों को प्रमाणित करने

की कोई आवश्यकता नहीं है, या किसी भी बीमा पालिसी को बिना चिह्नित और प्रदर्शित किए साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। अपीलार्थी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और/या विवेचक द्वारा यह प्रमाणित करने में भी विफल रहा है कि दुर्घटना के समय उत्तरवादी क्र. 2/चालक के पास वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था।

16. उपरोक्त के मद्देनजर, मेरी राय में, अपीलार्थी/बीमा कंपनी अपने लिखित कथन में किए गए बचाव को प्रमाणित करने में विफल रही है और अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka